

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 23.03.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 373/2013 धारा 325/323/504 भा0द0वि0 के वारन्टी अभियुक्त रामचन्द्र उर्फ रामचरन पुत्र मंगली निवासी जैतापुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त महेश नायक पुत्र करन सिंह उम्र करीब 58 वर्ष निवासी ग्राम हरवंशपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 15 अदद ट्रेटा पाउच (ट्रिवन टावर ब्राण्ड) अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 87/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रूरा पुलिस द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ मंगली पुत्र श्रीरामनंदन निवासी पुत्तीपुरवा तिगाई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 12 अदद ट्रेटा पाउच (dhampur इण्डियन टाईगर ब्राण्ड) अवैध देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 88/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 1-अखिलेश उर्फ लल्लू पुत्र स्व0 रामगोपाल उम्र करीब 32 वर्ष 2. कृपा शंकर पुत्र मन्नीलाल निषाद उम्र करीब 24 वर्ष 3. भजन पुत्र रामसुन्दर उम्र करीब 25 वर्ष 4. जाहर सिंह पुत्र रामेश्वर उम्र करीब 32 वर्ष निवासीगण डिडौलिया बांगर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 75/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त समरथ पुत्र स्व0 मनफूल निवासी ग्राम सिमरिया थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 13 अदद नाजायज क्वार्टर बरामद होने सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 0011/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

- थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त लालू पुत्र स्व० रामसिंह निवासी ग्राम सिमरिया थाना देवराहट जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 14 अदद नाजायज क्वार्टर बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 0012/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना डेरापुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सहदेव नायक पुत्र हाकिम सिंह निवासी ग्राम हारामऊ का डेरा थाना रूरा जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद देशी क्वाटर ट्विन टावर ब्राण्ड नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 0049/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा अभियुक्त विन्दा उर्फ शशिविन्द पुत्र रामप्रकाश निवासी मझरिया थाना रसूलाबाद कानपुर देहात के कब्जे से 21 अदद नाजायज क्वार्टर देशी शराब जाने मन ब्राण्ड बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 106/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त रामदयाल पुत्र रतन लाल यादव निवासी ग्राम डिब्बा निवादा कंजती थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के कब्जे से 15 क्वार्टर देशी शराब में बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 73/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यप्रकाश उर्फ भज्जू पुत्र राजाराम कोरी निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची देशी शराब बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु०अ०सं० 74/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 10 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रनियां पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत चालान किया।